...अन्तर्गत धारा:– 212 आर.टी.ए.

...नम्बर:– 91 / 2020

...प्रार्थी :– श्री फलभूर सिंह

वकील:– अप्रार्थी:–.......................

... हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अनिशिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख जारी हुआ
...2020	वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए का पेश किया। सरिस्ता से रिपोर्ट हो चुकी है। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस एकपक्षीय रूप से सुनी गई। बहस अधिवक्ता, शपथ पत्र संलग्न दस्तावेजात के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण, जवाब पेश होने तक प्रश्नगत आराजी चक 8 जैड खाता संख्या 46/44 के मुरब्बा नम्बर 25 व 27 की 3.379 हैक्टेयर कृषि भूमि को अपने हक हिस्से से अधिक रहन बैय व अन्तरित न करें व मौके की यथास्थिति बनाए रखें। वकील प्रार्थी रजिस्टर्ड ए.डी. से तामील करवाकर 3 दिवस में रसीदें पेश करें। इसके अभाव में अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी। अप्रार्थीगण के नाम से नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 26.10.2020 को पेश हो।	395 25/9/2020
...-10-20	प्रार्थी द्वारा जरिए वकील प्रार्थना पत्र पेश करने पर पत्रावली पेशी में ली गई। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि प्रार्थी का अप्रार्थीगण के साथ समझौता हो चुका है। अतः प्रकरण को इसी स्तर पर खारिज कर दाखिल दफ्तर किया जावे। प्रार्थी के निवेदन पर एव प्रार्थना पत्र मे किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं चाहने पर प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर खारिज किया जाकर दिनांक 23.9.20 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल अभिलेखागार हो।	[illegible] by P.S. Brar Adv.